चाकू रखने के अपराध में सजा

श्रावस्ती। सिरसिया पुलिस ने नियाज पुत्र मोहम्मद उमर निवासी मोहल्ला अंसारी थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती को शस्त्र अधिनियम में जेल भेजा था। जिसका विचारण चल रहा था। बुधवार को न्यायालय ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय ने आदेश दिया कि यदि आरोपी निर्धारित अर्थदंड जमा नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त अवधि की सजा भी भुगतनी होगी।